

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग**

क्रमांक: प.4(4)साप्र/5/2016

जयपुर, दिनांक: 13.06.18

—: आदेश :—

बजाजनगर अपार्टमेन्ट, गांधीनगर, जयपुर में विभाग के आदेश संख्या प. 4(3)साप्र/5/2016 दिनांक 16.03.2016 के क्रम में वरियातानुसार/पात्रतानुसार निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये राशि रूपये 500/- (अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र) के भुगतान पर एक वर्ष अथवा नियमित आवास आवंटित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा अस्थाई आवंटन किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	सेवानिवृति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1.	अजय भारती, सांख्यिकी अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, जयपुर	4800/-	49/2018	31.10.2049	डी-39, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
2.	श्री योगेश खत्री, सहायक निदेशक (ट्यूरिज्म), निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर	4800/-	59A/2018	31.05.2052	सी-26, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
3.	श्री अभिषेक पारीक, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौध व्याधि), राज्य जैव उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर	4800/-	63/2018	28.02.2043	एफ-1-67, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
4.	आशा अटल, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (ए0सी0टी0ओ0), वार्ड-1, सर्किल-1, एन्टी-एवर्जन, वाणिज्यिक विभाग, जयपुर	4800/-	64/2018	30.06.2046	ई-1-55, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
5.	सुश्री कोमल जैन, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, संस्थापन-प्रथम, मुख्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।	4800/-	68/2018	31.01.2050	एफ-1-68, बजाजनगर अपार्टमेन्ट

**उक्त आवंटन पर निम्न शर्तें लागू होगी :-**

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है। आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में प्राप्त करना होगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण तथा सेवानिवृति हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा, अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
6. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
  3. सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र।
  4. गत भुगतान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो।

- १.१.०० -

7. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवंटित आवास का किराया प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को जमा कराना होगा।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

६०

(गौरव बजाड़)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि० विभाग, (विद्युत वृत्त) जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष.....
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. निजी सहायक, उप शासन सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव